<u>मूल हिंदी में</u>

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3112
06.08.2021 को उत्तर के लिए

प्लास्टिक पर प्रतिबंध

3112. श्री गोपाल शेट्टी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए पूरे देश में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 में देश में पचास (50) माइक्रोन से कम मोटाई वाले कैरी बैगों और प्लास्टिक शीटों के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय और उपयोग प्रतिबंधित है। गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के भण्डारण, पैकिंग या बिक्री के लिए प्लास्टिक सामग्री के प्रयोग से बने पाउचों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीडब्ल्यूएम नियमों के अलावा प्लास्टिक कैरी बैगों और/या अभिज्ञात किए गए एकल उपयोग प्लास्टिक सामग्रियों पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध के संबंध में विनियम बनाते हुए अलग से अधिसूचनाएं/आदेश जारी किए गए हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 169 (अ) के दिनांक 11 मार्च, 2021 द्वारा एक अधिसूचना प्रकाशित की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2022 तक अभिज्ञात एकल प्रयोग प्लास्टिक सामग्रियों के उपयोग को प्रतिबंधित करते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में संशोधन करने हेतु जन परामर्श के लिए प्रारूप उपबंध शामिल थे।

प्रारूप उपबंधों के साथ जारी अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित अभिज्ञात एकल उपयोग की प्लास्टिक सामग्रियों के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय और उपयोग को अनुसूची के अनुसार प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव इस प्रकार है :

क्र.सं.	सामग्रियां	चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की तिथि
1	120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले अप्रयुक्त या पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग	30.09.2021
2	60 जीएसएम (ग्राम प्रतिवर्ग मीटर) या 240 माइक्रोन से कम मोटाई वाले बिना बुने हुए प्लास्टिक कैरी बैग	30.09.2021
3	प्लास्टिक स्टिकों के साथ ईयर बड, बैलून के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पोलिस्टीरीन (थर्मोकोल)	01.01.2022
4	एकल उपयोग प्लास्टिक सामग्री (पोलिस्टीरीन और विस्तारित पोलिस्टीरीन सहित), प्लेट, कप, ग्लास, फॉर्क, चम्मच, चाकू जैसे कटलरी, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे के लिए रैपिंग/पैकिंग फिल्म, निमंत्रण पत्र, और सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक/पीवीसी बैनर, स्टिरर। उपर्युक्त उपबंध कम्पोस्टेबल प्लास्टिक सामग्री से निर्मित वस्तुओं (कैरी बैग सहित) पर लागू नहीं होंगे।	01.07.2022

*****